न्यायालय श्री पुरूषोत्तम शर्मा, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व अपील संख्या : 48/2016

1. गोपाल सिंह पुत्र श्री मांग सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–ग्राम मण्डावरी, तहसील फागी, जिला–जयपुर।

अपीलान्ट,

बनाम

1. शिव कंवर पत्नी स्व0 श्री बच्चन सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–वनवाडा, तहसील डेगाना, जिला–नागौर।
2. वृन्दवन कंवर पत्नी श्री उमराव सिंह, जाति–राजपूत, निवासी–वनवाडा, तहसील डेगाना, जिला–नागौर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, फागी, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स,

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1383 दिनांक 20.09.2016 ग्राम मण्डावरी)

उपस्थितः–
1. श्री अशोक शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री राजकुमार चौधरी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट् संख्या 1 व 2 की ओर से।
3. पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक : 28.06.2019

सरपंच ग्राम पंचायत, मण्डावरी ने ग्राम मण्डावरी की आराजी के खातेदार सुगन कंवर पत्नी स्व0 श्री प्रेम सिंह की फौती पर विरासत का नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 के नाम स्वीकार किया है, जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ है।

उक्त आशय का अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट्स जारी किये गये व मिसल मातहत तलब की गई।

अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक श्री अशोक शर्मा का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत अपीलान्ट को बिना सुनवाई साक्ष्य का मौका दिये बाला–बाला पारित की गई है, जबकि वादग्रस्त आराजी की खातेदार–काश्तकार सुगन कंवर ने दिनांक 15.06.2010 को अपीलान्ट के हक में अन्तिम वसीयत की है। अपीलान्ट के हक में वसीयत होने के बावजूद भी रेस्पोडेन्ट्स ने वसीयत के अहम तथ्य को छिपाकर

Scanned by CamScanner

बाला–बाला बिना किसी तथ्यों एवं मौके की जांच किये ही एकपक्षीय नियमों के विरूद्ध नामान्तरकरण तस्दीक किया है जो अवैध होने से निरस्तनीय है। अपीलाधीन आज्ञा की जो प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त हुई है, उसमें नामान्तरकरण तस्दीकर्ता के पदनाम की मोहर साफ अंकित नही होने से ही सहवन से तहसीलदार द्वारा स्वीकृत मानकर इस न्यायालय में अपील पेश की गई है। इस न्यायालय में अपील पेश करने में अपीलान्ट की न तो कोई लापरवाही रही है और न ही किसी प्रकार की बदनियती रही है। महज पदनाम की मोहर स्पष्ट अंकित नही होने से ही तहसीलदार, फागी के आदेशों की अपील सुनने का इस न्यायालय को श्रवण क्षेत्राधिकार होने से इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली इस न्यायालय में प्राप्त होने पर मूल पत्रावली का अवलोकन करने पर ही जानकारी में आया है कि अपीलाधीन आज्ञा सरपंच द्वारा तस्दीक की गई है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील की मूल पत्रावली अग्रिम विचारण एवं निस्तारण हेतु उप खण्ड अधिकारी, फागी को भिजवाई जावें अथवा संबंधित न्यायालय में पेश किये जाने हेतु मूल पत्रावली अपीलान्ट को लौटाए जाने के आदेश फरमायें जावें।

रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 के विद्वान् अभिभाषक श्री राजकुमार चौधरी का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप विधि–सम्मत रूप से पारित की गई है। खातेदार सुगन कंवर की मृत्यु के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा जांच कर कौरम के समक्ष विधि–सम्मत तरीके से मृतक के वारिसान के हक में खोला जाकर स्वीकार किया गया है। मृतक द्वारा किसी के हक में कोई वसीयत नही की गई है, यदि कोई वसीयत भी है तो वह कूटरचित व फर्जी है। रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 को विरासत से प्राप्त आराजी को विवादित करने के उद्धेश्य से अपील प्रस्तुत की गई है। न्यायालय सहायक कलक्टर, फागी में सम्पूर्ण भूमि के विभाजन का दावा चल रहा है, जो कि नामान्तरकरण स्वीकार किये जाने के पश्चात् का है। अपीलाधीन आज्ञा को तहसीलदार, फागी ने स्वीकृत नही किया है बल्कि सरपंच, ग्राम पंचायत मण्डावरी द्वारा विधिवत् स्वीकार किया है। सरपंच की आज्ञा के विरूद्ध उप खण्ड अधिकारी को ही अपील सुनने का क्षेत्राधिकार है। सरपंच, ग्राम पंचायत मण्डावरी द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण की अपील उप खण्ड अधिकारी, फागी में ही की जा सकती है। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 04.09.1982 द्वारा सरपंच द्वारा तस्दीक किये नामान्तरकरण की अपील सुनने के अधिकार उप खण्ड अधिकारी को दिये गये है। अतः सरपंच द्वारा

न्यायालय अति. कलक्टर जयपुर

Scanned by CamScanner

स्वीकार किये गये नामान्तरकरण को अपील सुनने का श्रवण क्षेत्राधिकार विचारण न्यायालय में नही होने से अपील खारिज फरमायी जावें।

उभयपक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। वरवक्त बहस रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 के विद्वान् अभिभाषक श्री राजकुमार चौधरी ने कथन किया है कि सरपंच, ग्राम पंचायत मण्डावरी द्वारा स्वीकार किये गये नामान्तरकरण की अपील का श्रवण क्षेत्राधिकार विचारण न्यायालय को नही है बल्कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 04.09.1982 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उप खण्ड अधिकारी, फागी को है। वरवक्त बहस अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक श्री अशोक शर्मा ने भी स्वीकार किया है कि सरपंच, ग्राम पचांयत मण्डावरी द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण की अपील का श्रवण क्षेत्राधिकार, उप खण्ड अधिकारी, फागी को है। अधीनस्थ न्यायालय से अपीलाधीन आज्ञा की ली गई प्रमाणित प्रति में पदनाम की मोहर साफ/स्पष्ट न होने से तहसीलदार की आज्ञा समझते हुए इस न्यायालय में अपील की है और सक्षम न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, फागी में भिजवाने अथवा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फागी में प्रस्तुत करने हेतु अपील लौटाये जाने का कथन किया है। उक्त विवेचनानुसार प्रकरण के तथ्यों के गुणावगुण पर बिना गौर किये हम यह न्यायौचित पाते है कि अपील अग्रिम विचारण हेतु सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फागी में प्रस्तुत करने हेतु अपील अपीलान्ट को लौटा दी जावें। अतः इस न्यायालय को श्रवण क्षेत्राधिकार नही होने से अपील श्रवण क्षेत्राधिकार न होने के आधार पर अपील प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है और सक्षम न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, फागी के न्यायालय मे प्रस्तुत किये जाने हेतु अपीलान्ट को लौटाये जाने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पुरूषोत्तम शर्मा)
अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर

Scanned by CamScanner